न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी सेड़वा जिला बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी –श्री बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन– 439 / 2025 अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

प्रार्थीगण	विप्रार्थीगण
1. पवनदेवी पुत्री सोनाराम जाति कोली निवासी गोदारों की ढाणी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर।	1. तहसीलदार सेड़वा।

वकील प्रार्थीगण :– श्री दोष मोहम्मद आलीसर

निर्णय

दिनांकः– 09/02/2026

प्रार्थीनी पवनदेवी पुत्री सोनाराम जाति कोली निवासी गोदारों की ढाणी तहसील सेड़वा जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि "प्रार्थीनी एक काश्तकार है एवं प्रार्थीनी के खातेदारी एवं कब्जाकाश्त खेत खसरा संख्या 572 / 551 रकबा 1–9258 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम ग्राम गोदारों की ढाणी पटवार क्षेत्र भंवरिया भू अभिलेख निरीक्षक बाखासर तहसील सेड़व में आया हुआ है। जिस पर प्रार्थीनी का अपनी भूमि पर कब्जा काश्त है तथा अपने रहवास हेतु ढाणी, टांका व मवेशियों के बाड़े आदि बने हुए है। प्रार्थीनी की जोत व ढाणी पर आने जाने के लिए सरकारी भूमि खसरा संख्या 154 रकबा 23–4798 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन खारड़ा में जो कटाण रास्ते से सबसे नजदीक है। प्रार्थीनी को सड़क मार्ग तक आने जाने के लिए एकमात्र रास्ता है। प्रार्थीनी की जोत पर आने–जाने हेतु कदीमी रास्ता है। इस रास्ते से प्रार्थीनी के अलावा कई अन्य सौ परिवार भी जुड़े हुए है, जिसका उपयोग प्रार्थीनी वर्षों से करती आ रही है तथा सभी परिवार के लिए आवागमन का एकमात्र रास्ता है। काश्त के समय प्रार्थीनी की जोत खसरा संख्या 572 / 551 के [illegible] के काश्तकार अपनी काश्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

कर लेते है, जिससे प्रार्थीनी को अपनी जोत में जाने से बाधित हो जाते एवं हर बार रास्ते को लेकर भारी विरोध होता है, झगड़ा होने की पूर्ण संभावना बनी रहती हैं तथा प्रार्थीनी के काश्तकारी खेत हैं जिसके लिए कोई अन्य रास्ता नहीं है, जिस कारण प्रार्थी व अन्य परिवारों को आने—जाने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीनी द्वारा चाहे गए रास्ते का विवरण निम्नानुसार है—

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	किस्म	रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि	मौजा	खातेदार का नाम
1	154	23—4798	गै.मु. खारड़ा	30 फीट	गोदारों की ढाणी	तहसीलदार सेड़वा

प्रार्थीनी ने जो रास्ता वैकल्पिक रूप से परिशिष्ट 'अ' में बरंग लाल रंग से दर्शाया है जो विप्रार्थी की खातेदारी की भूमि है जिससे आगे सड़क मार्ग से प्रार्थीनी के अपने आने जाने हेतु मार्ग की सख्त आवश्यकता है तथा मार्ग के अभाव में प्रार्थीनी अपनी ढाणी आने—जाने में रूकावट पैदा होती है तथा विप्रार्थी के खेत खसरा संख्या 154 से आगे प्रार्थीनी के खेत खसरा संख्या 572/551 तक रास्ता कटा हुआ नहीं है। प्रार्थीनी रास्ते की भूमि का उपयोग मात्र आवागमन हेतु करेगा, इस संबंध में प्रार्थीनी रास्ते बाबत विप्रार्थीगण की खातेदारी भूमि के अन्य किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीनी के खेत खसरा संख्या 572/551 रकबा 1—9258 हैक्टेयर किस्म बारानी दोयम ग्राम गोदारों की ढाणी, पटवार मण्डल भंवरिया भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बाखासर तहसील सेड़वा में जाने हेतु सरकारी भूमि के खसरा संख्या 154 रकबा 23—4798 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन खारड़ा में से नया मार्ग खोलने का आदेश कर स्वीकृत मार्ग को राजस्व रेकर्ड में रास्ता के रूप में अंकित करावें।''

प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थीनी अधिवक्ता ने चाहे गये रास्ते के संबंध में मौका रिपोर्ट मंगवाने का निवेदन किया। तहसीलदार सेड़वा को प्रार्थी द्वारा चाहे गए रास्ते से संबंधित तथ्यात्मक मौका जांच प्रतिवेदन हेतु न्यायालय के पत्रांकः रीडर/2025/2265 दिनांक 31.12.2025 के द्वारा तहसीलदार सेड़वा को लिखा गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

कार्यालय तहसीलदार सेड़वा के पत्रांकः भू.अ./2026/203 दिनांक 19.01.2026 के द्वारा तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।

तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार दिनांक 15.01.2026 अनुसार प्रार्थीनी पवनदेवी पत्नी गिरधारीराम की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई—

क्र. सं.	खातेदार का नाम	मौजा	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	किस्म
1	राजस्थान सरकार	गोदारों की ढाणी	154	23—4798	0—0418 हैक्टेयर (रास्ते की चौड़ाई—30 फीट)	14630/—	गै.मु. खारड़ा

संलग्न नक्शे में प्रस्तावित रास्ते को बंरग लाल दर्शाया गया है। उक्त रास्ते में कोई कीमती मकान एवं पेड़ इत्यादि नहीं है। प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत डीएलसी दर से दुगुनी 29260/— रूपये।

प्रार्थीनी अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया। संलग्न दस्तावेजों एवं मौका रिपोर्ट पर न्यायालय द्वारा युक्तियुक्त चिंतन मनन किया गया। प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों, तथ्यों आदि पर बहस की, जिस पर न्यायालय द्वारा स्वस्थ चित्त से विचारण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों तथा दस्तावेजी साक्ष्यों पर युक्तियुक्त विचारणोपरांत यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थीनी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं है तथा इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। अतः प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 स्वीकार योग्य प्रतीत होता है तथा प्रार्थीनी को जो रास्ता दिया जाना है, उसका विवरण निम्नानुसार है—

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:34 IST
Reason: SelfAttested

क्र. सं.	खातेदार का नाम	मौजा	खसरा संख्या	रकबा (हैक्टेयर में)	रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	किस्म
1	राजस्थान सरकार	गोदारों की ढाणी	154	23–4798	0–0418 हैक्टेयर (रास्ते की चौड़ाई–30 फीट)	14630/–	गै.मु. खारड़ा

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीनी को रास्ता दिया जा सकता है और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति की पूर्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व अत्यधिक आवश्यकता के दृष्टिगत उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1)–(b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार के पत्रांकः भू.अ./2026/203 दिनांक 19.01.2026 द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द दिनांक 15.01.2026 एवं संलग्न आंशिक नक्शा ट्रेस बरंग लाल से दर्शाया गया है जिसके अनुसार 30 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थीनी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। प्रार्थीनी क्षतिपूर्ति राशि नियमानुसार डीएलसी दर की दो गुना राजकोष में अदा करेगें। तहसीलदार सेड़वा से प्राप्त तथ्यात्मक मौका जांच रिपोर्ट दिनांक 19.01.2026 मय फर्द दिनांक 15.01.2026 व नक्शा निर्णय का अनिवार्य अंग रहेंगे। प्रार्थी को उक्त खसरे में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :–

1. तहसीलदार सेड़वा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट [illegible] आंशिक नक्शा ट्रेस में दर्शाया गया है कि प्रस्तावित नए रास्तें में समाविष्ट [illegible] कुल भूमि के रकबे की गणना

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:34 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) सेड़वा

कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी।

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त निर्धारित राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकार (विप्रार्थीगण) को नए रास्तें में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुना के बराबर होगी।
3. प्रार्थीगण द्वारा नए प्रस्तावित रास्तें में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि तहसीलदार सेड़वा को प्रदान करने के उपरान्त ही स्वयं द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जायेगा।
4. नए प्रस्तावित 30 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में ''गैर मुमकिन रास्ता'' के रूप में अभिलिखित की जायेगी।
5. प्रार्थी को उक्त 30 फीट चौड़े रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए तद्नुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया रास्ता दिए जाने हेतु आज दिनांक 09/02/2026 को आदेश किया जाता है। मौका फर्द मय नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेंगे। निर्णय पालना हेतु तहसीलदार सेड़वा को लिखा जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर, दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(बद्रीनारायण विश्नोई, आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.)सेडवा जिला बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2026 / 203 दिनांकः– 19.01.2026

प्रेषितः– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय, सेड़वा

विशयः– राजस्व आवेदन सं 439 / 2025 अनवान पवनीदेवी बनाम तहसीलदार सेड़वा अंतर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(A) में मौका रिपोर्ट भिजवाने बाबत् ।

उपरोक्त विशयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्व 439 / 2025 अनवान पवनीदेवी बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत आर टी एक्ट की धारा 251 ए तहत ग्राम गोदारो की ढाणी के खसरा **572 / 551** में आने जाने के लिए विप्रार्थीगण के खेत खसरा नं. **141** में से रास्ता दिया जाने हेतु आप द्वारा मौका रिपोर्ट चाही गई थी। जिसकी पालना में अति.ओफिस कानुनगो द्वारा दिनांक **15.01.2026** को मौके पर जाकर जांच कर मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते हेतु नक्शा तैयार किया गया। मौका रिपोर्ट व प्रस्तावित रास्ते का नक्शा इस पत्रांक के सलंगन भिजवाया जा रहा है।

सलंगनः– उपरोक्तानुसार

भवदीय

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.)सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:34 IST
Reason: SelfAttested

उक्त मौका रिपोर्ट उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर/सुनायी गई। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	प्रार्थी/अप्रार्थी
01	हरजीराम	S/. सवाराम	खाती		मौतबीरान
02.	पवनीदेवी	W/. गिरधारीलाल	कुम्हार		

निम्न पक्षकारों ने मौका रिपोर्ट पढ़, सुन, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी

मौके पर उपस्थित अन्य मौतबिरान को भी उक्त मौका रिपोर्ट पढ़कर सुनायी गयी और उनके निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/ मोबाईल नं.
01	रामनारायण	S/. श्रीराम	32	विश्नोई	9602511199
02-	रामचन्द्र	S/. गोकलराम	56	-''-	9799146019

इस प्रकार आज दिनांक 05/01/2026 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर
पटवारी (भू.अ.) सेड़वा
पं. मं.

हस्ताक्षर
भू अ. निरीक्षक 05/01/2026
अतिरिक्त ऑफिस
सेड़वा

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:34 IST
Reason: SelfAttested

प्रार्थी कॉपी

मौका रिपोर्ट

(धारा 251(A) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत)

मैं जोताराम मीणा (नाम) भू. अभिलेख निरीक्षक वृत्त/तहसीलदार सेड़वा कार्यालय, तहसीलदार सेड़वा के आदेश कमांक 2265 दिनांक 31/12/2025 की पालना में भूमि की मौका रिपोर्ट तैयार करने हेतु आज दिनांक 15/1/2026 समय 1:00 pm बजे आराजी खसरा नम्बर– 154 वाके ग्राम गोदारों की ढाणी पटवार मंडल भंवरिया पर श्री मांगीलाल (Aok) पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा।

समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक ...—... दिनांक ...—... द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :–

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	प्रार्थी/अप्रार्थी
01.	पवनीदेवी	पत्नि गिरधारीराम	61	कुम्हार	प्रार्थी

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मौका मुआयना किया गया एवं मौका रिपोर्ट निम्नानुसार तैयार की गई :–

क्र.स.	खातेदार का नाम	मोजा	खसरा न.	रकबा हे. में	रास्ते में समाविष्ट भूमि का रकबा	रास्ते में समाविष्ट भूमि की कीमत	भूमि किस्म
01	राजस्थान–सरकार	गोदारों की ढाणी	154	23.4798 हैक्टर	0.0418 हैक्टर रास्ते की चौड़ाई 30 फीट	14630/–	गै.मु. खारड़ा

संलग्न नक्शे में प्रस्तावित रास्ते को बरंग लाल दर्शाया गया है। उक्त रास्ता में किसी प्रकार का कीमती मकान इत्यादि नही है। प्रस्तावित रास्ते मे समाविष्ट भूमि की कीमत डी.एल.सी. अनुसार 29260/– है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:34 IST
Reason: SelfAttested

(हस्ताक्षर)
15/01/2026

(हस्ताक्षर)
तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

अतिरिक्त ऑफिस
कानूनगो सेड़वा

राजस्थान सरकार

NIC-BHUNAKSHA

खसरा नक्शा एंव जमाबंदी(प्रतिलिपि)

प्रतिलिपि

दिनांक : 09/01/2026 05:15:08 PM

जिला : बाड़मेर

तहसील : सेड़वा

भू. अ. नि. क्षेत्र : बाखासर

पटवारी हल्का : भंवरिया

ग्राम : गोदारों की ढाणी

संकेत

प्रस्तावित रास्ता

(रकबा 0.0418 हैक्टर)

राजस्व आवेदन सं. 439/2025
अम्बवान पवनदेवी बनाम तहसीलदार सेड़वा
में अन्तर्गत धारा 251A RT Act में
प्रस्तावित रास्ता

डामर सड़क
ख.न. 48 [भिगमगी फांट]

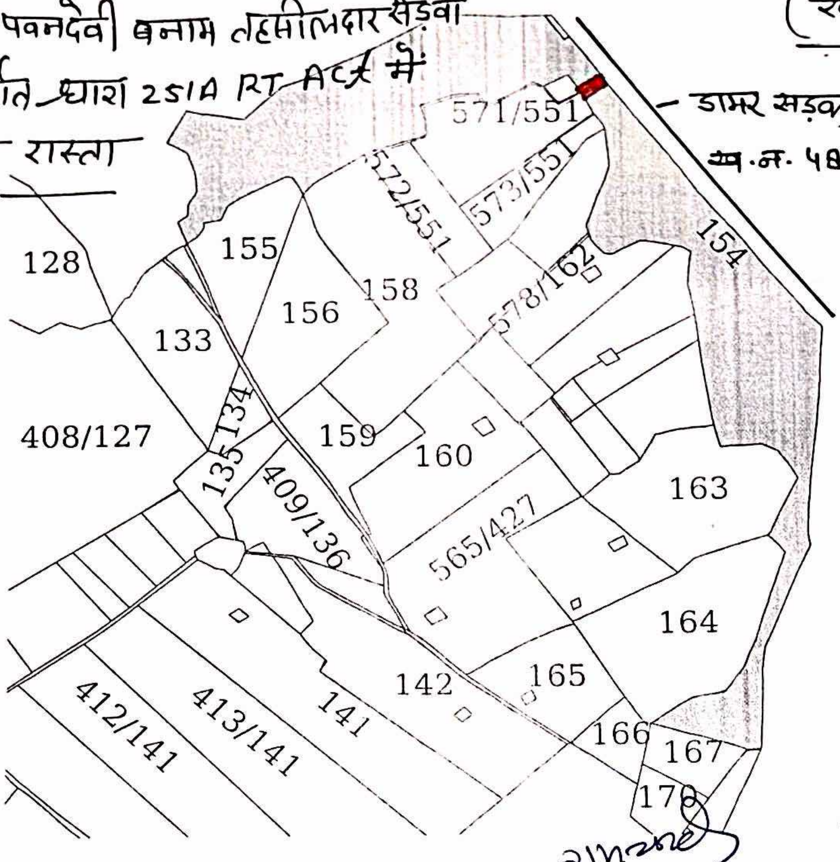

Scale 1:2000

खसरा संख्या :154 क्षेत्रफल : 23.4798 Hectare खाता संख्या : 1 पुराना खाता संख्या : 1

भूमि किस्म[क्षेत्रफल लगान]: गै.मु.खारडा [23.4798]

राज. सरकार

अतिरिक्त आफिस कानूनगो सेड़वा

सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर एंव सील

तहसीलदार (भु.अ.) सेड़वा

नोट :- १. यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है।
२. इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।
३. प्रविष्टियों में संशोधन/सत्यापित प्रतिलिपि हेतु सम्बंधित जिला/तहसील कार्यालय से संपर्क करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:34 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान सरकार

कार्यालय तहसीलदार (भू.अ.) सेडवा, जिला – बाडमेर

क्रमांक / भू.अ. / 2026 / 493 दिनांकः– 16.02.2026

प्रेषितः– श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय
सेड़वा (जिला– बाड़मेर)

विषयः– राज आवेदन स. 439 / 2025 अनवान पवनी देवी बनाम तहसीलदार सेड़वा में अंतर्गत धारा 251ए में निर्णय दिनांक 09.02.2026 में समाविष्ट भूमि की क्षतिपूर्ति की की स्वीकृति बाबत।

महोदय जी,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के संबंध में निवेदन है कि राज आवेदन स. 439 / 2025 अनवान पवनी देवी बनाम तहसीलदार सेड़वा में अंतर्गत धारा 251 ए रा.का.अधि. में निर्णय दिनांक 09.02.2026 की पालना हेतु अति.ऑफिस कानूनगो सेड़वा को निर्देशित किये जाने पर अति.ऑफिस कानूनगो सेड़वा द्वारा निर्वापित अभिघृति ग्राम गोदारों की ढाणी के ख.न. 154 रकबा 0.0418 हैक्टर की ग्राम गोदारों की ढाणी की निर्धारित डीएलसी दर का दो गुणा से तथा अन्य सरंचना के वास्तविक मूल्य से गणना करते हुए क्षतिपूर्ति राशि को पक्षकारों में विभाजन की गणना सहित रिपोर्ट इस कार्यालय में प्रस्तुत की गई।

प्रकरण में अति.ऑफिस कानूनगो सेड़वा से प्राप्त क्षतिपूर्ति राशि की गणना रिपोर्ट बाद जांच व प्रति हस्ताक्षर के स्वीकृति व अग्रीम आदेशार्थ श्रीमान जी की सेवा में प्रस्तुत है।

सलंग्नः– उपरोक्तानुसार। सादर।

भवदीय

16.02.2026

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

तहसीलदार (भू.अ.) सेड़वा

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:34 IST
Reason: SelfAttested

सेवामें,

श्रीमान् तहसीलदार महोदय

सेड़वा

विषय:- राजस्व आवेदन सं. 439/2025 अनवान पवनीदेवी बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत धारा 251 A RT Act. में निर्णय दि. 09/02/2026 की पालना में क्षति-पूर्ति राशि का निर्धारण बाबत्।

महोदयजी,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि माननीय न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सेड़वा के राजस्व वाद सं. 439/2025 अनवान पवनीदेवी बनाम तहसीलदार सेड़वा अन्तर्गत 251 A RT Act में निर्णय दि. 09/02/2026 के अनुसार निर्मित रास्ते में समाविष्ट भूमि की क्षतिपूर्ति राशि (वर्तमान DLC दर की दुगुनी) को प्रभावित पक्षकार को प्रभावित पक्षकार को भुगतान हेतु निम्नानुसार निर्धारण किया जाता है।

क्र.स.	ग्राम	खसरा	रकबा (रास्ते में प्रयुक्त भूमि)	निर्मित रास्ते के खातेदार जिनकी क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना है।	पक्षकार को देय क्षतिपूर्ति राशि (रुपये में)
क्र.स.= 1.	गोदारों की ढाणी	154	0.0418 हेक्टर	तहसीलदार सेड़वा	29,260/-
			राशि-योग	अक्षरे उनतीस हजार दो	सौ साठ रुपये।

ग्राम गोदारों की ढाणी के खसरा नं. 154 में से निर्मित रास्ते में समाविष्ट भूमि की कुल क्षतिपूर्ति राशि 29,260/- रुपये प्रभावित पक्षकारों को देय होगी उक्त रास्ता भूमि में किसी प्रकार का किमती पेड़, मकान इत्यादि नहीं है।

आग्रिम कार्यवाही हेतु रिपोर्ट श्रीमानजी को सादर पेश है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Badrinarayan
Date: 2026.02.18 11:50:34 IST
Reason: SelfAttested

16/02/2026

अतिरिक्त ऑफिस कानूनगो सेड़वा